पत्रांक-डी0डी0-1-विविध-162/2017.....................

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

सुनील चौधरी,
निदेशक,
अनुश्रवण-सह-मूल्यांकन-सह-क्रय कोषांग,
भवन निर्माण विभाग,पटना।

सेवा में,

मुख्य अभियंता(उत्तर/दक्षिण/पटना/विद्युत)
भवन निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

पटना,दिनांक:-

विषय:- पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अंतर्गत जारी दिशा-निर्देश के संबंध में।

प्रसंग:- पर्यावरण एवं वन विभाग का पत्रांक-13(ई0) दिनांक-08.01.18

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र की छाया प्रति संलग्न करते हुए कहना है कि प्रासंगिक पत्र के आलोक में एक प्रतिवेदन शीघ्र उपलब्ध कराया जाए। जिससे कि एक समेकित प्रतिवेदन पर्यावरण एवं वन विभाग को भेजा जा सके।

अनु0:-यथोक्त।

विश्वासभाजन
ह0/-
(सुनील चौधरी)
निदेशक
अनुश्रवण-सह-मूल्यांकन-सह-क्रय कोषांग

ज्ञापांक- 52 अनु0 पटना,दिनांक:- 25.01.2018

प्रतिलिपि:- आई0 टी0 मैनेजर,भवन निर्माण विभाग को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अनु0:-यथोक्त।

निदेशक
अनुश्रवण-सह-मूल्यांकन-सह-क्रय कोषांग

Sys-1, SUNIL CHODHRY Director_Letter_doc

पत्रांक–पर्या० / वन –30 / 2017 1316 / प0व0

बिहार सरकार

पर्यावरण एवं वन विभाग

प्रेषक,

मोख्तारूल हक,
परामर्शी।

सेवा में,

अभियंता प्रमुख–सह–
अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव,
भवन निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

पटना–15, दिनांक– 08/01/18

विषय :– पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा–5 के अतर्गत जारी दिशा–निर्देश के संबंध में।

प्रसंग :– भवन निर्माण विभाग का पत्रांक–11070 (भ) दिनांक–11.12.2017.

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में कहना है कि भवन निर्माण विभाग के द्वारा माहनन्दा नदी, इसके किनारों अथवा इसके बाढ़ क्षेत्रों में कराये गए निर्माण कार्यों के संबंध में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के पत्र की कंडिका–I एवं III के आलोक में सूचनाओं की जानकारी भारत सरकार को प्रतिवेदित किया जाना वांछित है। यदि कोई निर्माण कार्य नहीं किया गया है तो प्रतिवेदन शून्य होगा।

अतः अनुरोध है कि वांछित प्रतिवेदन भारत सरकार को भेजते हुए प्रति इस विभाग को देने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

(मोख्तारूल हक)
परामर्शी